राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 148वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 148वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवजीत रारा, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 148वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 148वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 456वीं एवं 457वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/पुराने खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स सुहेला लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री दिलीप जैन), ग्राम-सुहेला, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2098)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78422/ 2022, दिनांक 02/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से प्राधिकरण दिनांक 16/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन अंतरिम टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह भूमि से संबंधित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-सुहेला, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, स्थित खसरा क्रमांक 96, 100, 101 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4,666.38 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/03/2023 की संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ओटी टी.ओ.आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तें अतिरोपित करने बाबत् समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में चयनित उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में खुला पत्थर खदान खसरा क्रमांक 98, 100, 101 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल–0.77 हेक्टेयर, क्षमता–4,999.35 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी।
   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–
   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."
   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार पुनरावलोकन नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 416/खनि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी

प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	6,795
2018-19	3,150
2019-20	4,665
2020-21	4,665
2021-22	निरंक

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2017-18 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. Penalty provisions for violation cases and applications. Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुहेला का दिनांक 09/10/2024 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 821/ख.नि./तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 416/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 5.380 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 416/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज श्री सिकांत सिंह ठाकुर के नाम पर थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 21/12/2025 को श्री सिद्धेश जैन के नाम पर किया गया। समिति का मत है कि लीज संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ना.वि./व./2844 रायपुर, दिनांक 28/10/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुहेला 800 मीटर, स्कूल ग्राम–मुहेला 550 एवं अस्पताल भाटापारा 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। तालाब 1.25 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,57,388 टन, माइनेबल रिजर्व 51,273 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 88,146 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,846.39 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल नाका 308.74 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लीज हैलर के ट्रिमिंग एवं वाटरिंग सुनिश्चित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,968.18	षष्टम	4,685.33
द्वितीय	4,685.00	सप्तम	4,685.02
तृतीय	4,685.09	अष्टम	4,685.13
चतुर्थ	4,685.22	नवम	4,685.05
पंचम	4,684.96	दशम	4,686.16

13. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति वॉटरजल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल वाटरशेड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,846.39 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,080.76 वर्गमीटर क्षेत्र 0.5 मीटर की गहराई तक, 1,182.53 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक एवं 582.60 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन ओपन माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.13 के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से जारी प्रमाण पत्रों (500 मीटर, 200 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन) में खसरा क्रमांक 97, 98, 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख है, जबकि लीज दस्तावेज, माईनिंग प्लान, पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/08/2016 को जारी खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,57,388 टन, माईनेबल रिजर्व 51,273 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 46,146 टन है। समिति का मत है कि अद्यतन स्थिति में रिजर्व (जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिकवरेबल रिजर्व) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के शुष्क भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपयोगी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से जारी प्रमाण पत्रों (500 मीटर, 200 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन) में खसरा क्रमांक 97, 98, 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख है, जबकि लीज दस्तावेज, माईनिंग प्लान, पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को पत्र लेख किया जाए।

5. परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ओटी टी.ओ.आर. में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची** के निम्नानुसार अतिरिक्त टी.ओ.आर. शर्त निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit extended lease deed copy at the time of EIA submission.

vi. Project proponent shall submit the current status of geological, mineable & recoverable reserve.

vii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.

ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project Proponent shall submit an undertaking that top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per

the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

xxv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xxvi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.

xxvii. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum:- Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

xxviii. The project proponent shall submit turnover details certified by Chartered Accountant during the period of violation.

xxix. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xxx. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xxxi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxxii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause ,versus Union of India and Ors..

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए ऑनलाईन जारी ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये प्रस्तुति उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(3) खनन के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर व कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को पत्र लेख किया जाए।

2. मैसर्स सनीजसीद लाईम स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम–सनीजसीद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (खनिकालय का नस्ती क्रमांक 2586)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएईए/ सीजी/ एमएलएन/78524/ 2022, दिनांक 04/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 15/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी अग्रेषित है। परिवेश पोर्टल के आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह लघुखनिज लीज का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सनीजसीद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 86, कुल क्षेत्रफल– 2.888 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–50,243.75 टन प्रतिवर्ष है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 03/03/2023 को संपन्न 540वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ओटी टी.ओ. आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तें अधिरोपित करने बाबत् समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रधिकरण द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पश्चात उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में श्री गंगाकिशोर अग्रवाल को चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 कुल क्षेत्रफल–0.621 हेक्टेयर, क्षमता–11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक अर्थात् दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी।
   ii. पूर्व में श्री मनोज साहू को चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2, कुल क्षेत्रफल–0.878 हेक्टेयर, क्षमता–8,864.87 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आघात

निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक अर्थात् दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी।

iii. पूर्व में श्री अनिल कुमार अग्रवाल को चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 66, कुल क्षेत्रफल-1.121 हेक्टेयर, क्षमता-30,225 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 27/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 से 5 वर्ष की अवधि तक अर्थात् दिनांक 09/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृतियों की वैधता में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी।

iv. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. निर्धारित शर्तानुसार भूअर्जन नहीं किया गया है।

vi. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, के ज्ञापन क्रमांक 381/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 07/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जिला वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. श्री गंगाकिशोर अग्रवाल की स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	7,885
2018-19	11,890
2019-20	13,415
2020-21	12,140
2021-22	8,000

2. श्री रितेश अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	निरंक
2018–19	
2019–20	
2020–21	3,000
2021–22	निरंक

समिति का मत है कि श्री मनीष ठाकुर के नाम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 का हस्तांतरण श्री रितेश अग्रवाल के नाम से किये जाने बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. श्री अंकित अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	4,260
2018–19	17,115
2019–20	7,395
2020–21	13,965
2021–22	12,610

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की मात्रात्मक मात्रा की जानकारी अंकित विमान से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में श्री नरसिंहगढ़ अग्रवाल द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अंकित मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अंकित मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टेण्डर्ड ऑफ ऑपरेशन (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be

determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में आवेदित सभी खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान माइनिंग प्लान एवं मिन माइन क्लोजर प्लान मिन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (उ.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 2552/खनि02/सं.उ.अनुमोदन/न.क.08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 883/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान (3 खदानों का समामेलन) से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 82.363 हेक्टेयर होना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तीनों खदानों के समामेलन (amalgamation) के पश्चात् उन्हें एक खदान मानकर जिसमें केवल विद्यमान खदान के तीन सीम से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 883/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1324/खनि02/उ.प.समामेलन/न.क.03/2021 नया रायपुर, दिनांक 11/04/2022 द्वारा उक्त लीजों का समामेलन (amalgamation) श्री दिनेश कुमार अग्रवाल के नाम पर किया गया। समामेलित (amalgamated) लीज डीड की वैधता दिनांक 26/07/2036 तक है। लीजों का समामेलन (amalgamation) विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पट्टेदार का नाम	खसरा क्रमांक	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर)	अवधि
1.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	84, 85/1, 85/2, 86/2.	0.976	दिनांक 27/07/2006 से 26/07/2036 तक
2.	श्री नंदकिशोर अग्रवाल	80, 81/1, 81/2, 81/3.	0.631	दिनांक 15/01/2009 से 14/01/2039 तक

		81/4		
3.	श्री अंकित अग्रवाल	66	1.121	दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2047 तक
4.	लागिल क्षेत्र नियम 37 (6) के अनुसार	82	0.08	श्री गदाधिकारी अग्रवाल
5.		84	0.04	सरकारी भूमि
		85/2	0.09	श्री अंकित अग्रवाल
6.	**सम्मिलन पश्चात् कुल क्षेत्र**		**2.888**	

पूर्व में लीज श्री गणेश ठाकुर के नाम पर थी जिसका इमलीकरण दिनांक 22/10/2018 को श्री अंकित अग्रवाल के नाम पर किया गया।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, बी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-रानीजरौद 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम-रानीजरौद 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल सुकेला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,82,460 टन, माइनेबल रिजर्व 7,23,545 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,87,367 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम फट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,180 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल भराव 6,888 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14.5 वर्ष है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में डम्प स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)
प्रथम	50,913.75
द्वितीय	50,913.75
तृतीय	47,812.50
चतुर्थ	50,913.25
पंचम	50,862.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.54 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टेंकरों के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,700 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,850 वर्गमीटर क्षेत्र 9 मीटर एवं 850 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्भावित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, पुराना मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. परिवेश पोर्टल पर आयोजित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ओटी

विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किये जाने उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के निम्नानुसार अतिरिक्त विशेषज्ञ की सिफारिश किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat with mentioning all khasra numbers of mining lease.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines, three mines are amalgamated as one mine and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.

ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

xxv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xxvi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.

xxvii. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum:- Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

xxviii. The project proponent shall submit turnover details certified by Chartered Accountant during the period of violation.

xxix. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and

Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xxx. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xxxi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxxii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ऑनलाईन जारी ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपखनी उपयोगी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

पर्यावरण प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. **मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.–श्री भगवती प्रसाद वर्मा), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (खनिजात्मक का पत्थर क्रमांक 2100)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएईए /सीजी /एमएलईएन / 79538/2022, दिनांक 04/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 15/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त है। पर्यावरण घटक के आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 280, कुल क्षेत्रफल–1.373 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–31,288 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/03/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ऑटो टी.ओ.आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तें अधिरोपित करने बाबत् समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार किये उपरांत कार्यवाही – उपरोक्त तथ्यों के परिक्षिय में परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्री भगवती प्रसाद वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में श्री बसंत चंद्राकरी को चूना पत्थर खदान पार्ट आफ खसरा क्रमांक 208, कुल क्षेत्रफल–1.821 हेक्टेयर, क्षमता–31,877 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन मिशिल प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 14/03/2022 तक वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "5A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered

for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध होगी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिक्षेत्रीय प्रशासक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1168/टीन-6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/12/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	4,000
2018-19	1,780
2019-20	410
2020-21	30
2021-22	400

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आनावेनी का दिनांक 21/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईन ऑफ क्वारी माईनिंग प्लान एलाग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1686/खनि 02/म.प्र.अनुमोदन/ग.क.08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 07/04/2022 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में कुल लीज क्षेत्र रकबा 1.316 हेक्टेयर का उल्लेख है, जबकि ऑनलाईन आवेदन में कुल लीज क्षेत्र रकबा 1.373 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 213/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 62.844 हेक्टेयर होना बताया गया है।

जिसमें केवल विद्यमानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह सहित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होलिस्टिकली निकाल क्षेत्र में विद्यमानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाओं के संबंध में जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज की स्वीकृति चंद्रभाई के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात दिनांक 26/04/2008 से 25/04/2018 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात 26/04/2018 से 25/04/2038 तक की अवधि हेतु निलंबित की गई है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 09/02/2022 को श्री भगवती प्रसाद वर्मा के नाम पर किया गया।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, बी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./र./1348, रायपुर दिनांक 26/06/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विदित का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-टेकारी 800 मीटर, स्कूल ग्राम-जतौद 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-खुरसेल 4.26 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जयुनिया नदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/ईकोसेन्सिटिव संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित ईकोसेन्सिटिव क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,47,082 टन, माईनेबल रिजर्व 2,12,982 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,02,338 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (वृक्षारोपण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

3,255 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। अयस्क मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रदूषण स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	31,020
द्वितीय	31,020
तृतीय	31,290
चतुर्थ	31,020
पंचम	27,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10.32 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु स्थीय एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 500 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,255 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 180 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक एवं 345 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित खदान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ओपनकास्ट कार्य में पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 208 एवं लीज क्षेत्रफल 1.326 हेक्टेयर के स्थान पर पुनरिक्त पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 280 एवं लीज क्षेत्रफल 1.273 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

ऑनलाईन आवेदन के दौरान सावधानी पूर्वक समस्त भूमि संबंधी उल्लेख के साथ आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार किये उपरांत कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

4. परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी की गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ओटी टी. ओ.आर. में **समिति द्वारा विचार किये उपरांत कार्यवाही** के निम्नानुसार अतिरिक्त टीओआर शर्त निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

   v. Project proponent shall submit the latest NOC from Gram Panchayat (with proceedings and meeting date) for mining.

   vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   vii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

   viii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure (bridge, anicut, temple, dam, canal etc.) within 200 meter radius from the mine, from the Mining Officer of Mining Department.

ix. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

x. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.

xi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xiii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

xiv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate into the EIA report the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.

xxii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit

half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xxv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ऑनलाईन जारी ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण की क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. **मेसर्स सनीजरीद लाईम स्टोन क्वारी माईन प्रोजेक्ट (श्री– श्री अनिल कुमार जसवानी, डी–ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–सनीजरीद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1797)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसईए/ सीजी/ एमआईएन/ 88876/ 2021, दिनांक 03/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परिवेश पोर्टल के आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 17/10/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–सनीजरीद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल–1.002 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–14,782.63 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/03/2023 की संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ओटी टी.ओ. आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तें अधिरोपित करने बाबत् समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशनचंद जसवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

i. पूर्व में चूना पत्थर उत्खनन पट्टे क्षेत्र खसरा क्रमांक 81, कुल क्षेत्रफल-1.080 हेक्टेयर, क्षमता-14,817.52 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 09/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, के ज्ञापन क्रमांक 586/बी 3-3/म.ख. 31/2005 बलौदाबाजार, दिनांक 27/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	7,500
2018-19	8,500
2019-20	5,500
2020-21	2,500
2021-22	6,500
2022-23 (जनवरी 2023)	5,080

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09/01/2023 तक की अवधि उपरोक्त पत्र अनुसार 2022 से जनवरी 2023 में 5,080 टन का उत्खनन किया जाना बताया गया है। अतः इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से दिनांक 09/01/2023 के पश्चात् किये गए उत्खनन/उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पलौरतराई का दिनांक 09/04/2001 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु जारी किया गया था। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का

अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (सर्वखाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खाई चयन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 2488/खनि /डीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 03/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, के ज्ञापन क्रमांक 149/खनि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 17/05/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 84.137 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, के ज्ञापन क्रमांक 149/खनि. /2021 बलौदाबाजार, दिनांक 17/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज की अनिल कुमार जसवानी के नाम पर है। लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/10/2001 से 02/10/2016 तक की अवधि हेतु दिए थी। तत्पश्चात् लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/10/2016 से 02/10/2031 तक की अवधि हेतु विलगित की गई है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी–1, बी–2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वन मण्डल, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 11/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रानीजलौद 820 मीटर, स्कूल ग्राम–सुहेला 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल सुहेला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। तालाब 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। किसाखा नदी 36 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिवेशन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,55,752 टन, माईनेबल रिजर्व 1,84,584 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,48,266 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,510.17 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 23 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में प्रवाह प्रवाहित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,436.25	पंचम	16,436.25
द्वितीय	16,436.25	छठवां	16,436.25
तृतीय	16,436.25	सातवां	16,436.25
चतुर्थ	16,436.25	आठवां	16,436.25
पंचम	16,436.25	नवमां	16,436.25

13. **जल आपूर्ति** – परिवेशन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.0 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु स्थानीय एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 500 पौधे वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,510.17 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 3,389.88 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परिवेशन प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज के दक्षिण भाग में 7.5 मीटर की सीमा पट्टी 1,120.29 वर्गमीटर (जिसमें उत्खनन कार्य नहीं किया गया है) में केवल 10 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को सेफ माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में ही 22 मीटर तक की गहराई तक उत्खनन

किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज के दक्षिण भाग में 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 22 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को नैन माईनिंग क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सीम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

'The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.'

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये प्रस्तुत उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 27/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ओटी टी. ओ.आर. में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निम्नानुसार अतिरिक्त टीओआर शर्तें निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. **Project Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.**

   ii. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 09/01/2022 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the latest NOC from Gram Panchayat (with proceedings and meeting date) for mining.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

viii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.

x. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

xi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xiii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

xiv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from

mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए ऑनलाईन जारी ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपदेशानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण प्रभावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(ग) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स रानीजरौद लाईमस्टोन खदान माईन (प्रो.– श्रीमती आनंदी शर्मा), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1918)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/71310/ 2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से प्रारम्भ दिनांक 28/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परिवेश पोर्टल के आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन अंतरिम टी.ओ.आर. दिनांक 05/08/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खनन विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, खसरा क्रमांक–607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–28,425 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/03/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी अंतरिम टी.ओ.आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तें अनिवार्य करने बाबत् समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यवाही के उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परिवेश उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 16/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 20/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण हेतु ऑनलाईन

ऑटो टी.ओ.आर. (Auto ToR) जारी हो गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से 31/05/2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 14/03/2022 को सूचना भी दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ. आर. (Auto ToR) को मान्य करते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा किये जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन में ऑटो टी.ओ.आर. जारी हो चुका है, चूंकि समिति द्वारा प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा नस्थी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वर्धित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वर्धित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्थी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में कुल पत्थर खदान खसरा क्रमांक 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2, कुल क्षेत्रफल-1.219 हेक्टेयर, मात्रा 9,519.42 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 07/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष अर्थात दिनांक 06/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior

Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 08/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, के ज्ञापन क्रमांक 580/ग.ख./तीन–6/खा.प./2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	2,080
2018–19	2,370
2019–20	500
2020–21	470
2021–22	250

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलौदाखुर्द का दिनांक 14/08/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवू माईनिंग प्लान एवीन बिथ प्रोडेक्टिव कवरी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खनि), संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 66/खनि 03/ग.प्र.अनुमोदन/ग.क.08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 06/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1335/खनि/2021 बलौदाबाजार दिनांक 06/01/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 63.864 हेक्टेयर क्षेत्र बताया गया है। जिसमें केवल विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी तथा संयुक्त खनिज क्षेत्र से अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज

सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को सम्मिलित करते हुए तथा इस प्रकार सम्मिलित खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक सम्मिलित किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक /1335/खनि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 09/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, कुआं, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती आनंदी वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/08/2012 से 15/08/2022 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/08/2022 से 16/08/2042 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/एफ.सी./खनिज/196 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा 0.79 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रानीजरौद 450 मीटर, स्कूल ग्राम–मांगेकसुर 840 मीटर एवं अस्पताल–सुहेला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी., महानदी 800 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संचित एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,52,845 टन, माईनेबल रिजर्व 1,76,041 टन एवं सिलेक्टेबल रिजर्व 1,67,238 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,490 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4.55 वर्ष से अधिक है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,000
द्वितीय	38,625
तृतीय	38,425
चतुर्थ	27,875
पंचम	27,300

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.04 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति हेतु स्वीकृत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,480 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 108 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका प्रावधान अनुमोदित माईनिंग प्लान में है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज ओन माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.13 के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति

पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को विधिवत कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के साथ में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. परियोजना पोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ओटी टी. ओ.आर. में **समिति द्वारा विचार किये गये उपदेश कार्यवाही** के निम्नानुसार अतिरिक्त टी.ओ.आर. शर्तें निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रस्तावों पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ऑनलाईन जारी ओटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपबंधानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संयुक्त उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख लिया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण प्रबंधक के निबंधनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख लिया जाए।

(ब) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(स) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को भेजाई जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स अशोकी कलेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री रोशन देवांगन), ग्राम–अशोकी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1580)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्ताव नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81476/2021, दिनांक 03/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्ताव नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/498686/ 2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कच्ची गिट्टी (मीनर खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अशोकी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 125/1, 125/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2, कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–10,944 टन (4,560 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 851, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के शर्मित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोशन देवांगन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कोन्सीलेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली पाण्डे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स एसीडिस एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीडिस एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता जाहिर की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्सीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसकी सूचना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तत्पश्चात् मेसर्स कॉन्सीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन की संबंध में ग्राम पंचायत अर्राटी का दिनांक 17/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – आगे प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं आगे कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खा.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ. क्र. 786/खनि 02/प्र.प्र.अनुमोदन/न.क.02/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 625/क/खनि/न.क.73/2019 महासमुंद, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.86 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 286/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. की वैधता देवारण के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 4885/क/उत्खनि चट्टान/खनि/न.क.73/2019 महासमुंद, दिनांक 25/11/2020 द्वारा जारी की गई। जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 16/खनि 02/प्र.प्र.–अनु.निस्तार/न.क. 50/2017(A) नया रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई. में 1 वर्ष की वैधता वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 42/2022 द्वारा जारी स्थगित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "जबलपुर विशेषज्ञ के

आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को अग्रसारित किया जाता है।" होना बताया गया है।

8. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 126/1 की विक्रय भूमि, खसरा क्रमांक 125/2 श्रीमती सुलोचना महारवाडे, खसरा क्रमांक 127 एवं 128/2 की टिनेश कुमार साहू एवं श्री राम गोपाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 128/1, 131, 132 एवं 148/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अभ्यपति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./581 महासमुंद, दिनांक 25/01/2019 से जारी अभ्यपति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-अरोती 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-अरोती 2 कि.मी. एवं अस्पताल बेलसोण्डा 8.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.05 कि.मी. दूर है। रेलवे 1.15 कि.मी., नहर 740 मीटर, नहानदी 250 मीटर एवं कोडार नाला 175 मीटर दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,38,180 टन, माईनेबल रिजर्व 1,12,887 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,07,223 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.522 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 32,634 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रेशर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,944.00	षष्ठम	10,560.96
द्वितीय	10,807.20	सप्तम	10,675.60
तृतीय	10,670.40	अष्टम	10,485.20
चतुर्थ	10,807.20	नवम	10,670.40
पंचम	10,670.40	दशम	10,752.48

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी एवं ग्राम पंचायत का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,113 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,243 रूपये, बेन लिंक फेंसिंग व पौधों के रख-रखाव के लिए राशि 1,18,892 रूपये, खाद के लिए राशि 27,825 रूपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,50,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,78,000 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पट्टाधारक द्वारा का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** –

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16	44	60
PM_{10}	55	74	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	46.5	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के कालावधि हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर

साथी अन्य पुनरावृत्ति तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	20	48	60
PM_{10}	38	75	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.4	62.3	75
Night L_{eq}	38.4	48.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

viii. **पी.सी.यू. की गणना–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये दैनिक आवागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (VIC ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 90 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 515.50 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (VIC ratio) 0.260 होगी। विस्तार के उपरांत भी टी–मल्टीप्लेक्स/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैपेसिटी अत्यंत निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

ix. **जी.एल.सी. की गणना –** जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रभावित क्षेत्र में पी.एम$_{10}$ का अधिकतम ग्राउंडलेवल जी.एल.सी. 76.78 µg/m^3 तथा पी.एम$_{2.5}$ का अधिकतम ग्राउंडलेवल जी.एल.सी. 47.27 µg/m^{3}होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अपराह्न 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–अर्जोली, तहसील एवं जिला–महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सहायक सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

i. निजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे है, वह जितना भी वेस्ट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी सेमरेज शासकीय भूमि में न करें।

ii. खदान के चारों ओर तार फेंस की आवश्यकता है। तार फेंस नहीं होने के कारण मवेशी आदि गिर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा फेंस बनाया जाए जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iii. ग्राम के सभी रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिनमें बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले माइन रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में डंप नहीं किया जाएगा।

ii. खदान का सीमांकन कराकर, बार्ड और पीलिंग कराकर ही उत्खनन किया जायेगा, ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, उसका पूर्णतः पालन किया जायेगा।

iii. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशिक्षित वाहन चालकों को लगाया जायेगा एवं वाहन चालकों को सतत् दिशा निर्देश दिये जायेंगे। पत्थरों का परिवहन तारपोलिन से ढककर, परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियमानुसार रॉयल्टी में ही परिवहन किया जायेगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पहुंच मार्ग (कुल लम्बाई 500 मीटर) के दोनों तरफ (334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330	330
	ट्री-गार्ड एवं पौधों के रख-रखाव हेतु राशि	53,680	50,320	50,320	50,320	50,320
	खाद हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000

राशि					
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु राशि	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेक-अप हेतु राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 25,87,000	**5,47,000**	**5,10,000**	**5,10,000**	**5,10,000**	**5,10,000**

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनटेनेंस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग (लम्बाई 180 मीटर)	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
पहुँच मार्ग (लम्बाई 180 मीटर) में 138 नग वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर के साथ वृक्षारोपण, ट्री-गार्ड, खाद सिंचाई एवं रख-रखाव आदि) हेतु राशि	70,800	56,700	56,700	56,700	56,700
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु राशि	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
हेल्थ चेक-अप हेतु राशि	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
कुल राशि = 6,60,600	**2,08,400**	**1,94,300**	**1,94,300**	**1,94,300**	**1,94,300**

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.70	2%	0.477	Following activities at Village-Accholi	

			Plantation at Village Pond with fencing	0.591
			Total	0.591

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 20 नग पौधे जीवित है। शेष 50 नग पौधों को रोपण कलस्टर में शामिल कुल 4 खसरों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 17 नग पौधों के पुनर्रोपण (4 फीट से 5 फीट ऊंचाई के पौधे – आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 2,550 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 850 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 17,900 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 51,200 रूपये हेतु पटरावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 32,634 घनमीटर है। इसमें से 1,896 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (ग्रावलगन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, व शेष 30,738 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 एवं 1723, रकबा 0.84 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

25. कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित भूमि महानदी से लगभग 300 मीटर एवं कोडार नाला 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो की स्थल निरीक्षण एवं ग्राम पंचायत के अनुसार कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है" का उल्लेख है।

26. ऊपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर सेमरी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित करने तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थानों से पहुंचमार्ग अवरुद्ध प्रभावित होगा, उन स्थानों पर निर्बाधित जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आरक्षी पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् बारगढ़ी मिनरल्स द्वारा संचालन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं, उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. आवेदित खदान को शामिल कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुमान बनाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

37. क्लस्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःप्रेषित कर प्रस्तुत किया गया है।

38. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

39. माननीय एन.जी.टी., सेंट्रल जोन, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 625/ख/खनि/म.ख.रा./2019 महासमुंद, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के घेरे अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.98 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स अछोली प्लेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री रोशन देवांगन) को ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 125/1, 125/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2 में स्थित चूनी पत्थर (गैर खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर, क्षमता–10,944 टन (4,560 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को सम्पन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्राम पंचायत अछोली का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अछोली प्लेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री रोशन देवांगन) को

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत लिखित लिये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. मेसर्स अर्थोली फ्लेग स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– अशोक कुमार चंद्राकर), ग्राम–अर्थोली, तहसील व जिला–महासमुंद (खनिजालय का नक्शा क्रमांक 1581)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 414716/2021, दिनांक 04/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/416861/ 2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित खदान पत्थर (स्टोन माईनेज) खदान है। खदान ग्राम–अर्थोली, तहसील व जिला–महासमुंद, खसरा क्रमांक 832, 833 एवं 698, कुल क्षेत्रफल–3.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–4,104 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 639, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में प्रस्तावित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवेन्द्र चंद्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली बघेल उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीसीज एनवायरमेंटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीसीज एनवायरमेंटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अपंजियत कालती के आवंटित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तत्पश्चात् मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अर्राटोली का दिनांक 17/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खनि) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 370/खनि 02/म.प्र.अनुमोदन/न.क.02/2018(1) नया रायपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 624/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 284/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री अशोक कुमार पटेल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1884/क/उत्खनि पट्टा/खनि/न.क.80/2019 महासमुंद, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 07/खनि 02/उ.प.–अनु.निस्ता./न.क.80/2017(4) नया रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 31/12/2022) की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 87/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**उपलब्ध विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(6) सपठित के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।**" होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सालोन वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./281 महासमुंद, दिनांक 08/01/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की

सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है तथा आवेदित क्षेत्र वनग्रामों अम्बारण्य से 44 कि.मी. दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अशोती 1.1 कि.मी., रघुल ग्राम–अशोती 1.4 कि.मी. एवं अम्बाला केलसोन्डा 8.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.8 कि.मी. दूर है। महानदी 3.8 कि.मी., तालाब 800 मीटर, सीमारी नाला 3.3 कि.मी. एवं नहर 780 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,52,980 टन, माइनेबल रिजर्व 3,30,881 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,14,547 टन है लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,739 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 88,583 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। स्टोन क्रशर का उपयोग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,104	पंचम	4,035.6
द्वितीय	4,035.6	सप्तम	3,987.2
तृतीय	4,069.8	अष्टम	4,001.4
चतुर्थ	4,104	नवम	4,069.8
पंचम	4,001.4	दशम	4,104

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टेंकरों के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,740 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 17,400 रूपये, वेल लिंक फेंसिंग व पौधों के रख–रखाव के लिए राशि 1,47,275 रूपये, खाद के लिए राशि 44,325 रूपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,88,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,44,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 2 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	28.00	44.00	60
PM_{10}	55.00	73.00	100
SO_2	7.00	20.00	80
NO_2	15.00	37.00	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता–** ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लाइड्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	43.8	63.1	75
Night L_{eq}	35.3	48.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ2, एनओ2 का सान्द्रण लेवल–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	29.00	45.00	60
PM_{10}	56.00	74.00	100
SO_2	8.00	21.00	80
NO_2	16.00	38.00	80

vii. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	44.8	64.1	75
Night L_{eq}	36.3	49.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

viii. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / गुड्स कैरेज हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.21 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 28 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 453 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.226 होगी। विस्तार के उपरांत भी डी-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

ix. **जी.एल.सी. की गणना** – जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में PM_{10} का अधिकतम क्यूमेलेटिव जी.एल.सी. 77.78 $\mu g/m^3$ तथा $PM_{2.5}$ का अधिकतम क्यूमेलेटिव जी.एल.सी. 42.17 $\mu g/m^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 05/09/2022 अपरान्ह 3:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-अर्जोली, तहसील एवं जिला-महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 09/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. गांव में खदान की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर जाता है। पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जावे।

ii. निजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे है, वह जितना भी वेस्ट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी वेस्टेज शासकीय भूमि में न डालें।

iii. सीमांकन कार्य नहीं किया गया है। माईनिंग नियमों के तहत सीमांकन कार्य उपरांत खदान संचालित की जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्राम के बेरोजगार युवकों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. ग्राम भवन को रोकने के लिए बंध निर्माण कराते हुए चायनेज नाली का निर्माण प्रस्ताव दिया गया।

ii. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले माइन रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में डंप नहीं किया जा जायेगा।

iii. खदान का विधिवत् सीमांकन करा कर पास ओर से फेंसिंग करके अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही खनन कार्य किया जाएगा।

iv. रोजगार नीति के अनुसार योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। नियमानुसार मजदूरों को मजदूरी व अन्य भत्ते दिये जायेंगे।

19. **क्लस्टर हेतु सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सम्मिल कर क्लस्टर में कुल 3 खदानें है। जिसमें से 2 खदानों को पूर्व से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। अतः क्लस्टर के सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है :–

विवरण		प्रथम (लाखों)	द्वितीय (लाखों)	तृतीय (लाखों)	चतुर्थ (लाखों)	पंचम (लाखों)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 7.3 मीटर		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (474 मी.) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,740	730	730	730	730
	ट्री–गार्ड एवं पौधों की रख– रखाव हेतु राशि	57,830	9,840	9,840	9,840	9,840
	खाद हेतु राशि	24,430	24,430	24,430	24,430	24,430
	सिंचाई हेतु राशि	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के संधारण हेतु राशि		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
हेल्थ चेक–अप हेतु राशि		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल राशि = 14,02,000		3,22,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
50.13	2%	1.01	Following activities at Village-Accholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	1.32
			Total	1.32

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 50 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 10 नग पौधे जीवित है। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 8,000 रूपये, जीवित के लिए राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 22,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 38,000 रूपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 482 क्षेत्रफल 1.14 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. लीज क्षेत्र में उपजी मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल भराव 88,960 घनमीटर है। इसमें से 3,084 घनमीटर उपजी मिट्टी को सीमा चट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (तालाब के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में बैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, व शेष 85,876 घनमीटर उपजी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (भू-खाली सीमांकित किसानी बाई, खसरा क्रमांक 885, 5, 6 एवं 7, कुल रकबा 2.08 हेक्टेयर) में भराईत कर संरक्षित रखा जाएगा।

24. उपजी मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विक्रय न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर वृहत वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कंसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कारगुजारी रिपोर्ट द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन-जिन स्थानों से पहुंचमार्ग डमर प्रभावित होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. छत्तीसगढ़ आवास पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का नियमित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. आवेदित खदान को सम्मिलित कर क्लस्टर में कुल 5 खदानें हैं, जिसमें से 2 खदानों को पूर्व से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। अतः क्लस्टर क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुमान लागत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

35. क्लस्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशान्तर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरिवाइज कर प्रस्तुत किया गया है।

36. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-स्टीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-स्टीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा कॉन्टेंट पार्टीज विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 624/ख/खनि/ग.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आसोती) का रकबा 3.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आसोती) को मिलाकर कुल रकबा 5.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स आसोती फ्लेग स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– अशोक कुमार चंद्राकर) को ग्राम–आसोती, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 630, 635 एवं 686 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.84 हेक्टेयर, क्षमता–4,124 टन प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत आसोती का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स आसोती फ्लेग स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– अशोक कुमार चंद्राकर) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स अशोती क्वेरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री रिसेश्वर चंद्राकर), ग्राम–अशोती, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1582)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81490/2021, दिनांक 04/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/418558/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कार्य पत्थर (स्टोन माईनर) खदान है। खदान ग्राम–अशोती, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1170, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–5,130 टन (2,137.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 641, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित शेड्यूल 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरणहेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिसेश्वर चंद्राकर, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली पधारे उपस्थित हुए।समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीडीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीडीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तत्पश्चात् मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अशोती का दिनांक 13/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (क्षे.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ. क्र. 782/खनि 02/ग.प्र.अनुमोदन/ग.प्र.02/2016(3) नया रायपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 823/क/खनि/म.अं./2021 महासमुंद, दिनांक 09/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.62 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 286/क/खनि/म.अं./2021 महासमुंद, दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. की रिनेवल कंट्राक्टर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1687/क/उपखनि पट्टा/ख.नि./म.प्र.88/2019 महासमुंद, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 09/खनि 02/उ.प्र.–अनु.निस्ता./म.प्र. 50/2017(4) नया रायपुर, दिनांक 31/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल. ओ.आई. में 1 वर्ष की वैधता वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 93/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"जनसुनवाई विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(3) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./8084 महासमुंद, दिनांक 17/12/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संचरनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आरोली 60 मीटर, स्कूल ग्राम–आरोली 650 मीटर एवं अस्पताल बेलसोण्डा 8.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.6 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी., तालाब 360 मीटर, नैसर्गिक नाला 750 मीटर एवं नहर 380 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,44,000 टन, माईनेबल रिजर्व 52,171 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 46,962 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,070 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल भाग 17,790 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रेशर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,924.80	षष्ठम	5,081.60
द्वितीय	5,081.60	सप्तम	4,924.80
तृतीय	4,993.20	अष्टम	4,788.00
चतुर्थ	4,866.40	नवम	5,027.40
पंचम	5,130.00	दशम	4,788.00

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 813 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 8,943 रूपये, पेन सिंक फेंसिंग व पौधों के रख-रखाव के लिए राशि 1,03,732 रूपये, खाद के लिए राशि 20,325 रूपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,23,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,48,000 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	18	44	60

PM_{10}	55	74	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	48.5	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सम्पादन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$, का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m³)**	**Maximum (µg/m³)**	**CPCB Standard (µg/m³)**
$PM_{2.5}$	20	40	60
PM_{10}	58	75	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

vii. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	48.4	62.3	75
Night L_{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

viii. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425.60 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 90 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 515.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.260 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-नोटिफाइड/प्रोहिबिटेड के परिवहन हेतु उक्त मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

iv. **जी.एल.सी. की गणना** – जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में PM_{10} का अधिकतम वायुमंडलीय जी.एल.सी. 78.78 $\mu g/m^3$ तथा $PM_{2.5}$ का अधिकतम वायुमंडलीय जी.एल.सी. 47.27 $\mu g/m^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अपरान्ह 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–अछोती, तहसील एवं जिला–महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई एजेण्डा कार्यक्रम सहित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. निजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे हैं, वह जिलान की वेस्ट मटेरियल है वह अपने जमीन में रखें, नदी की वेस्टेज सरकारीय भूमि में न डालें।

ii. खदान के चारों ओर तार फेंस की आवश्यकता है। तार फेंस नहीं होने के कारण मवेशी आदि गिर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा फेंस करवाया जाए जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iii. ग्राम के सभी रोड में बड़े–बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले माइन रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में डंप नहीं किया जाएगा।

ii. खदान का परिसीमन कराकर, चारों ओर फेंसिंग कराकर ही उत्खनन किया जायेगा, ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, उसका पूर्णतः पालन किया जायेगा।

iii. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशिक्षित वाहन चालकों की लगाया जायेगा एवं वाहन चालकों को सतत् दिशा निर्देश दिये जायेंगे। गाड़ी का परिवहन सावधानी से कराकर, परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियमानुसार गतिसीमा में ही परिवहन किया जायेगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330	330
	ट्री-गार्ड एवं पौधों के रख-रखाव हेतु राशि	83,980	50,320	50,320	50,320	50,320
	खाद हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रावर्सेन्ट मॉनिटरिंग हेतु राशि		1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के संधारण हेतु राशि		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
होल्ड पॉइंट-अप हेतु राशि		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 25,87,000		5,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000

कॉमन इन्फ्रावर्सेन्टल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग (लम्बाई 116 मीटर)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
पहुंच मार्ग (लम्बाई 116 मीटर) में 78 नग वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) के साथ	43,200	34,600	34,600	34,600	34,600

वृक्षारोपण, ट्री–गार्ड, खाद सिंचाई एवं रख–रखाव आदि) हेतु राशि					
इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस हेतु राशि	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु राशि	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
टेलन्ट फीस–अन हेतु राशि	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
कुल राशि = 6,01,800	1,27,200	1,18,600	1,18,600	1,18,600	1,18,600

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की सम्मा विस्तार से वर्ष उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.01	2%	0.32	Following activities at Village-Accholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.496
			Total	0.496

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 20 नग पौधे उपस्थित है। शेष 50 नग पौधों को रोपण कलक्टर में सम्मिलित कुल 4 आवासों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 12 नग पौधों के वृक्षारोपण (4 फीट से 5 फीट ऊंचाई के पौधे – आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,800 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 3,500 रुपये, खाद के लिए राशि 600 रुपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,600 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 36,800 रुपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. लीज क्षेत्र में उपजी मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 17,790 घनमीटर है। इसमें से 2,442 घनमीटर उपजी मिट्टी को सीमा भूमि 7.5 मीटर चौड़ाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पौधारोपण वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व शेष 15,348 घनमीटर उपजी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर उत्खनन प्लान अनुसार रखा जाएगा। साथ ही उपजी मिट्टी को लीज क्षेत्र के

बाहर स्थल की भूमि (खसरा क्रमांक 1170/1, कुल रकबा 4.89 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

24. उपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 5 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित करने तथा शेष उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का पुनःभराव न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्याप्तिक डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बारण्डी रिजर्व द्वारा नीलामी का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

32. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का नियमित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. आवेदित खदान को सम्मिलित कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन

इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कमांक जानकारी प्रस्तुत की गई है।

38. क्लस्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरिवाइज कर प्रस्तुत किया गया है।

39. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं दुरूस्तीकरण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि–स्तरीय समिति (प्रोपनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं दुरूस्तीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि–स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2019 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार बिन्दुओं उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 623/क/खनि/ग.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 09/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 23.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अर्जोली) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अर्जोली) को मिलाकर कुल रकबा 23.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की संचालन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अभिवर्त रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स अशोती पलेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री रितेश्वर चंद्राकर) को ग्राम–अशोती, तहसील व जिला–महासमुंद के पार्ट अंकित खसरा क्रमांक 1170 में स्थित कच्ची पत्थर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–5,130 टन (2,137 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/06/2023 को संपन्न 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/06/2023 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत अशोती का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अशोती पलेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री रितेश्वर चंद्राकर) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स अशोती पलेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री मोहन लाल साहू), ग्राम–अशोती, तहसील व जिला–महासमुंद (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1585)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61743/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/415236/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कच्ची पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अशोती, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1408 एवं 1380/1, कुल क्षेत्रफल–0.87 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता–3,777.84 टन (1,574.1 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 843, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल साहू, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली चव्हाण उपस्थित हुए। समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एनीरीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एनीरीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता जाहिर की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तत्पश्चात् मेसर्स कॉन्फीडेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analysed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अर्राटोरी का दिनांक 25/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना –** खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपोजिट प्लान एवं खदान प्रोफाइल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रका.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 870–2/ख.नि./टीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 627/क/खनि/न.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 09/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.86 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1074/क/ई–निविदा/ख.नि./न.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. श्री मोहन लाल साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 805/क/ई–निविदा/ख.नि./न.अ.80/2018 महासमुंद, दिनांक 30/08/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक की। तत्पश्चात् संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर

अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 8100/खनि 02/2.1-अनुविभा./भू.क्र. 80/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई. में 6 माह की मियाद वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की मियाद वृद्धि बाबत् न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 43/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के पत्र दिनांक 30/06/2019 द्वारा जारी आवेदन पत्र में निहित शर्तों का पालन अपीलकर्ता श्री मोहन लाल साहू, निवासी 342 प्रोफेसर कॉलोनी, साहित्य मंदिर के पास, रायपुर द्वारा कर लिए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/08/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ मीनर खनिज नियम, 2015 के नियम 42(6) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

8. **भू-स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 1380/1 श्री दुर्गेश्वर एवं खसरा क्रमांक 1428 श्री मोहन लाल साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/2428 महासमुंद, दिनांक 14/10/2019 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आरंभी 400 मीटर, स्कूल ग्राम–आरंभी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी., तालाब 1.15 कि.मी., कोडार नाला 280 मीटर एवं नहर 880 मीटर दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 98,480 टन, माईनेबल रिजर्व 34,041 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,573 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.862 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,514 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रशर

का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,058.56	षष्ठम	2,268.00
द्वितीय	2,592.00	सप्तम	2,916.00
तृतीय	2,864.16	अष्टम	3,564.00
चतुर्थ	3,378.08	नवम	3,304.80
पंचम	2,916.00	दशम	3,777.84

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर अथॉरिटी एवं ग्राम पंचायत का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 875 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 8,303 रुपये, बेल लिक कंटिंग व पौधों के रख–रखाव के लिए राशि 86,372 रुपये, खाद के लिए राशि 14,325 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 90,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 2,00,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,20,000 रुपये आगामी पांच वर्षों हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	18	44	60
PM_{10}	55	74	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.5	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अन्तर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	20	46	60
PM_{10}	58	75	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

vii. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	45.4	62.3	75
Night L_{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

viii. **वी.सी.यू. की गणना–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ईयरिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 90 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 515.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.280 होगी। जिसके उपरान्त भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

ix. **जी.एल.सी. की गणना –** जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एम$_{10}$ का अधिकतम क्यूमेलेटिव जी.एल.सी. 79.78 µg/m^3 तथा पी.एम$_{2.5}$ का अधिकतम क्यूमेलेटिव जी.एल.सी. 47.27 µg/m^3 होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अपरान्ह 12:00 बजे ग्राम – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–अटौली, तहसील एवं जिला–महाराजगंज में संपन्न हुई। लोक सुनवाई

इन्फ्राटेक सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. निजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे हैं, वह जितना की लेट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी वेस्टेज शासकीय भूमि में न डालें।

ii. खदान के चारों ओर तार फेंस की आवश्यकता है। तार फेंस नहीं होने के कारण मवेशी आदि गिर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा फेंस बनाया जाए जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iii. ग्राम के सभी रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिससे बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले माइन रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में जमा नहीं किया जाएगा।

ii. खदान का सीमांकन कराकर, पाटी और फेंसिंग कराकर ही उत्खनन किया जायेगा, ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, उसका पूर्णतः पालन किया जायेगा।

iii. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं के बचने के लिए प्रशिक्षित वाहन चालकों को लगाया जायेगा एवं वाहन चालकों को सतत् दिशा निर्देश दिये जायेंगे। गाड़ी का परिवहन लायसेंसिंग से प्रकार, परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियमानुसार गतिसीमा में ही परिवहन किया जायेगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 800 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000

पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (304 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330	330
	ट्री–गार्ड एवं पौधों के रख– रखाव हेतु राशि	53,960	50,320	50,320	50,320	50,320
	खाद हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फाटर्मेन्ट मॉनिटरिंग हेतु राशि		1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु राशि		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेक–अप हेतु राशि		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 25,87,000		**5,47,000**	**5,10,000**	**5,10,000**	**5,10,000**	**5,10,000**

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्ताव की संपूर्णता निम्नानुसार होगी–

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अनुपम निर्माण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग (लम्बाई 78 मीटर)	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
पहुँच मार्ग (लम्बाई 78 मीटर) में 52 नग वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर के साथ वृक्षारोपण, ट्री–गार्ड, खाद सिंचाई एवं रख–रखाव आदि) हेतु राशि	29,000	23,200	23,200	23,200	23,200
इन्फाटर्मेन्ट मॉनिटरिंग हेतु राशि	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु राशि	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
हेल्थ चेक–अप हेतु राशि	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
कुल राशि = 4,03,300	**86,300**	**79,500**	**79,500**	**79,500**	**79,500**

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्ष उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.05	2%	0.26	Following activities at **Village-Accholi**	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.346
			Total	**0.346**

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 20 नग पौधे जीवित है। शेष 50 नग पौधों को रोपण कलक्टर में शामिल कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 9 नग पौधों के पुनर्रोपण (4 फीट से 6 फीट ऊंचाई के पौधे – आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,350 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 2,500 रुपये, खाद के लिए राशि 450 रुपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,750 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,050 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 25,800 रुपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल भार 11,514 घनमीटर है। इसमें से 1,0036 घनमीटर उपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनर्रोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व शेष 10510.4 घनमीटर उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 826/3 तथा 844, कुल रकबा 0.33 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

25. उपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित करने तथा शेष उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, बिक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की कटाई संबंधित प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन-जिन स्थानों से खुदाई/ड्रेज उत्खनन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् कालाबाजी मिलावट द्वारा दोषपूर्ण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसका संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.ओ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार नियमानुसार करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. आवेदित खदान को शामिल कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुमान लागत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

37. क्लस्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरेखित कर प्रस्तुत किया गया है।

38. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं

पुनर्वास कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनर्वास का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2a. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेट फाउंडेशन विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दि-तथा 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाकर उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 827/क/खनि/न.ज./2021 महासमुंद, दिनांक 09/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.96 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अर्राटी) का रकबा 0.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अर्राटी) को मिलाकर कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार किया जाकर उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स अर्राटी फ्लोर स्टोन माईन (प्रो.- श्री मोहन लाल साहू) को ग्राम-अर्राटी, तहसील व जिला-महासमुंद के खसरा क्रमांक 1408 एवं 1280/1 में स्थित फर्शी पत्थर (लीज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर, क्षमता-3,777 टन (1,574

घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 23/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत अर्राजोली का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अर्राजोली क्वॉर्ट्ज स्टोन माईन (प्रो.– श्री मोहन लाल साहू) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त निम्नांकित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स अर्राजोली क्वॉर्ट्ज स्टोन माईन (प्रो.– श्री बिन्दु साहू), ग्राम–अर्राजोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1384)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81754/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/417349/2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित नवीन खदान (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अर्राजोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 79/2 एवं 1307, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 8,738.2 टन (2,808 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रावधान क्रमांक 827, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित केगरी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रावधान दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बिन्दु प्रसाद साहू, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्सीलेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली बघाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीसीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीसीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवंटित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्सीलेन्स रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तत्पश्चात् मेसर्स कॉन्सीलेन्स रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analysed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अर्राटोली का दिनांक 25/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एवम् खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रका.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 873–2/ख.नि./तीन–8/2019 रायपुर, दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 828/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 09/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.62 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1073/क/ई–निविदा/ख.नि./म.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि अवस्थित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री बिन्नू साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 346/क/ई–निविदा/ख.नि./म.अ.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 26/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 माह की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 44/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के पत्र दिनांक 26/02/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन अपीलकर्ता श्री बिन्नू साहू, निवासी ग्राम अर्राटोली तहसील व जिला महासमुंद द्वारा कर लिए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा जारी**

अधिसूचना क्रमांक एफ 9–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपत्र में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3810 महासमुंद, दिनांक 23/07/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोती 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अछोती 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बिरकोनी 8.20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.75 कि.मी. दूर है। कच्चा रास्ता 10 मीटर, महानदी 780 मीटर, तालाब 850 मीटर, कोडार नाला 150 मीटर एवं नहर 535 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिलेखित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,44,000 टन, माइनेबल रिजर्व 88,876 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 58,881 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,381 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,917 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रशर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,480.00	षष्ठम	8,642.00
द्वितीय	6,078.24	सप्तम	8,220.80
तृतीय	5,508.00	अष्टम	6,739.20
चतुर्थ	6,480.00	नवम	8,091.20
पंचम	8,091.20	दशम	8,648.48

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 672 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,392 रूपये, ग्रेन सिल्क बॉसिंग व पौधों के रख–रखाव के लिए राशि 95,808 रूपये, खाद के लिए राशि 16,800 रूपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 रूपये,

इस प्रकार कुल राशि 2,10,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 6,32,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** –

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 18 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	18	44	60
PM_{10}	55	74	100
SO_2	7	20	80
NO_2	15	37	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.5	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	20	46	60
PM_{10}	58	75	100

SO_2	7	30	80
NO_2	15	37	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.4	62.3	75
Night L_{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से संलग्न पाये गये।

viii. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (VC ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 90 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 515.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (VC ratio) 0.260 होगी। विस्तार के उपरांत भी रो-मटेरियल/प्रोडक्ट के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

ix. जी.एल.सी. की गणना - जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में PM_{10} का अधिकतम क्यूमुलेटिव जी.एल.सी. 79.78 $\mu g/m^3$ तथा $PM_{2.5}$ का अधिकतम क्यूमुलेटिव जी.एल.सी. 47.27 $\mu g/m^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अपरान्ह 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-अपोली, तहसील एवं जिला-महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सहित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

i. निजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे हैं, वह जिसका भी लैंड मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी लैंडलेस शासकीय भूमि में न डालें।

ii. खदान के चारों ओर तार घेरे की आवश्यकता है। तार घेरा नहीं होने के कारण मवेशी आदि गिर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा घेरा कराया जाए जिससे पालतू एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iii. ग्राम के सभी रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले माइन रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित उपखनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के ढूंढ़ गिर्द या शासकीय स्थल में डंप नहीं किया जाएगा।

ii. खदान का सीमांकन कलक्टर, वार्ड और बीसिंग कलक्टर ही करवाना किया जावेगा, ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया जावेगा, उसका पूर्णतः पालन किया जावेगा।

iii. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशिक्षित वाहन चालकों को लगाया जावेगा एवं वाहन चालकों को सतत् दिशा निर्देश दिये जायेंगे। चालकों का परिवहन लाइसेंस से देखकर, परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियमानुसार गतिसीमा में ही परिवहन किया जावेगा।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सम्मिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में सम्मिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (334 वर्ग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330	330
	ट्री–गार्ड एवं पौधों के रख–रखाव हेतु राशि	63,680	50,320	50,320	50,320	50,320
	खाद हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि		1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के संधारण हेतु राशि		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेक–अप हेतु राशि		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 25,87,000		**5,47,000**	**5,10,000**	**5,10,000**	**5,10,000**	**5,10,000**

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव पहुँच मार्ग (लम्बाई 116 मीटर)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
पहुँच मार्ग (लम्बाई 116 मीटर) से 78 नग वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर के साथ वृक्षारोपण, ट्री-गार्ड, खाद सिंचाई एवं रख-रखाव आदि) हेतु राशि	43,200	34,600	34,600	34,600	34,600
इन्फ्रावर्मेन्ट मॉनिटरिंग हेतु राशि	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
सड़कों / पहुँच मार्ग के रखरखाव हेतु राशि	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
हेल्थ चेक-अप हेतु राशि	9,300	9300	9,300	9,300	9,300
कुल राशि = 6,01,600	**1,27,200**	**1,18,600**	**1,18,600**	**1,18,600**	**1,18,600**

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.01	2%	0.40	Following activities at, Village-Acchoti	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.496
			Total	0.496

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 20 नग पौधे उपस्थित है। शेष 50 नग पौधों को रोपण कलक्टर में प्रस्तावित कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 52 नग पौधों के वृक्षारोपण (4 फीट से 5 फीट ऊंचाई के पौधे – आम, जामुन एवं जटरोफा) के लिए राशि 1,800 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 4,000 रूपये, खाद के लिए राशि 800 रूपये, फेंसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,400 रूपये, इस प्रकार

प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,800 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 38,800 रूपये हेतु पौधरोपण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधरोपण स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,817 घनमीटर है। इसमें से 1,178 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (वृक्षारोपण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पौधरोपण वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व शेष 16,739 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर खनन प्लान अनुसार रखा जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 484 एवं 1583, कुल रकबा 0.18 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

23. कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित भूमि महानदी से लगभग 350 मीटर एवं कोडार नाला 80 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो की स्थल निरीक्षण एवं प्राप्त संकलन के अनुसार कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है" का उल्लेख है।

24. ऊपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित करने तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना से जिन–जिन स्थानों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कंसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बारम्बारी मिलर्स द्वारा संचालन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनकी विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

32. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. आवेदित खदान को सम्मिलित कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुमान लागत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

35. क्लस्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का आकार एवं क्षेत्रफल सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

36. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनर्स्थापन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (कलेक्टर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., डिविजनल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेश पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रिंसिपल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 626/क/खनि/ग.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अर्राजोरी) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अर्राजोरी) को मिलाकर कुल रकबा 23.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान श्रे–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की गणना हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स अर्राजोरी पत्थर स्टोन माईन (प्रो.– श्री बिष्णु साहू) को ग्राम–अर्राजोरी, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 79/2 एवं 1307 में स्थित कोटी पत्थर (चीप खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–6,738 टन (2.808 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया; प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2023 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत अर्राजोरी का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अर्राजोरी पत्थर स्टोन माईन (प्रो.– श्री बिष्णु साहू) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स गोजी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रैकेन्द्र चन्द्राकर), ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (अधिवाहन का नस्ती क्रमांक 1111)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित नस्ती – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 215700/2021, दिनांक 18/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।

वर्तमान में प्रस्तावित नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268419/2022, दिनांक 12/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित पूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंदी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1033/1, 1035, 1043, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1091, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093, 1094, 1095, 1096, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल–4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आकलित उत्खनन क्षमता–58,871.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1371, दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (ओक सुपवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रेमेन्द्र चन्द्राकर, प्रोपराइटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स डी एण्ड एस सीलुशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जियाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा गवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. आवेदन में खसरा क्रमांक 1088 का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 06/02/2023:

समिति द्वारा गवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत गया है।

समिति द्वारा राजस्व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोहन कपाकर, प्रोपराइटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स वी एण्ड एम कॉन्सुलटेन्ट, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जियाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत गोठनी का दिनांक 03/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान एवं क्लोज ग्रिड खदान योजना प्लान ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 162/खनिज/उत्तर.बे.अनु./उ.प्र./2021-22 कांकेर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 445/खनिज/ख.नि./2022 धमतरी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 10.77 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 732/खनिज/उ.प्र./2021 धमतरी, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एन.ओ.आई. श्री रोहन कपाकर के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 582/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020-21 धमतरी, दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। उक्त एन.ओ.आई. में टंकन त्रुटि की जिसे कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 731/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020-21 धमतरी, दिनांक 10/08/2021 द्वारा संशोधित किया गया। तत्पश्चात् एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौगोलिक तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 73/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम**

42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला पन्नाली को अग्रसारित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1033/1 तथा 1036 की खुदेन्द्र चन्द्राकर एवं शेष भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पन्नाली वनमण्डल, जिला–पन्नाली के ज्ञापन क्रमांक/पा.वि./जी/1115 पन्नाली, दिनांक 27/02/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंडी 600 मीटर, राष्ट्रीय ग्राम–गोंडी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी. एवं मौसमी नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संभाव्य एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,41,000 टन, माइनेबल रिजर्व 13,34,109 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 12,67,403 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,014.55 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। उपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 28,107.82 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में अन्दर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	41,504.96	पंचम	55,719.79
द्वितीय	52,747.35	छठवां	56,871.66
तृतीय	54,757.80	सातवां	53,595.63
चतुर्थ	55,435.28	नवम	48,547.43
पंचम	55,969.50	दशम	55,774.39

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस आशय ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में खाली ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 3,300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,17,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 24,900 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,68,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,29,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 9,60,600 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चौड़ी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चौड़ी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 243.56 वर्गमीटर क्षेत्र को संवेदनशील होने के कारण नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	18.4	33.3	60
PM_{10}	43.6	62.4	100
SO_2	7.8	15.6	80
NO_2	9.9	22.3	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, लोह, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	40.7	54.5	75
Night L_{eq}	38.3	46.0	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 878 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.43 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 84 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तात्पर्यतः कुल

882 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी./सी अनुपात (V/C ratio) 0.44 होगी। निस्तार के उपरांत भी वी–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहनीय क्षमता निर्धारित मानक (Good) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter For PM_{10}					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration (µg/mP³P)	Incremental GLCs (µg/mP³P)	Resultant Concentration (µg/mP³P)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) (µg/mP³P)
1.	Excavation + loading + Transpotation	62.4	1.6	64	100

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वनस्पति (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 08/06/2022, प्रातः 10:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–गोंदी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. खदान में जो ब्लास्टिंग करते है। उससे घरों में तेज आवाज आती है और घरों को नुकसान होता है। खदान ब्लास्टिंग होने से पत्थर खदान से बाहर आ जाते है और गड्ढे में ब्लास्ट का जमाव हो जाता है। गांव वाले यही चाहते है कि निम्न स्तर पर ब्लास्टिंग का कार्य किया जाए।

ii. यहां पत्थर खदान खोलने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। खदान में बाहर के लोगों को बुलाकर रोजगार दिया जाता है। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान के निर्धारित मानक के अनुसार नॉर्मल ब्लास्टिंग दिन के समय में किया जाएगा और उसमें में भी ध्यान रखा जाएगा कि गांव वालों को कोई तकलीफ न हो। नॉईस लाईवेल की टेस्टिंग करने पर वह निर्धारित मानक के भीतर पाया गया।

ii. खदान में काम करने के लिए यहां के स्थानीयों को ही उनके शिक्षा के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 7 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट

प्लान प्रस्तुत किया गया है। क्रीपन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, एम.डी.आर. रोड में (किलाडी से कटौली) 1.5 कि.मी.		3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
एम.डी. आर. रोड (किलाडी से कटौली) के दोनों तरफ (7,000 मान) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,00,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	पौधरोपण हेतु राशि	14,80,000	–	–	–	–
	बीज, खाद एवं रख–रखाव हेतु राशि	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (प्रैक्टिस)		1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के रखरखाव हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
ग्रामीण पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2.5 कि.मी. तक)		1,00,000	30,000	30,000	–	–
कुल राशि = 56,50,000		**38,70,000**	**14,80,000**	**14,80,000**	**14,30,000**	**14,30,000**

क्रीपन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, एम.डी.आर. रोड में (किलाडी से कटौली) 514 मीटर		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
एम.डी. आर. रोड	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन	1,25,000	12,500	12,500	12,500	12,500

(फिनवारी के कटीली) के दोनों तरफ (7,000 मग) वृक्षारोपण हेतु	ट्रे) हेतु राशि					
	फेंसिंग हेतु राशि	4,50,000	—	—	—	—
	बीज, खाद एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,10,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस (वैन्टिक)		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ग्रामीण पहुँच मार्ग के वृक्षारोपण		40,000	20,000	20,000	—	—
कुल राशि = 17,65,000		8,33,000	2,42,500	2,42,500	2,22,500	2,22,500

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
120	2%	2.4	Following activities at Village - Goji	
			Pavitra Van Nirman	12.00
			Total	12.00

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (जामुन, बड़, पीपल, नीम, आम, करंज, केल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 26,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,400 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,86,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,32,800 रूपये तथा अगली 4 वर्ष में कुल राशि 8,75,760 रूपये हेतु पटवारी वार का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत गोजी के सहमति उपरांत क्षतिपूर्ण स्थान (खसरा क्रमांक 844, रकबा 5.95 हेक्टेयर में से 0.4 एकड़) के के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. कुल मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 26,107.82 घनमीटर है। प्रथम वर्ष में जनित 8,204.5 घनमीटर कुल मिट्टी को खान की लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि (खसरा क्रमांक 1071 एवं 1072) एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर

संग्रहित रखा जाएगा। तत्पश्चात् द्वितीय वर्ष में जनित 21,803.12 घनमीटर उपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष के बॉर्डिंग पिट को पुनर्भरण हेतु उपयोग किया जाएगा।

24. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. उपरी मिट्टी को लीज के प्रतिबंधित क्षेत्र (7.5 मीटर) में पौधारोपण वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं विक्रय न करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. डेटोनेटर का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. क्लस्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

33. आवेदित खदान को सम्मिलित कर क्लस्टर में कुल 7 खदाने है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुमोदन कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

34. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

35. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से वनभूमि अर्थात् उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निर्गमित जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

37. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

38. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रार्दिद पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार बिन्दुवार उपरांत चर्चोपरान्त से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 445/खनिज/ख.नि./2022 धमतरी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 10.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोंजी) का क्षेत्रफल 4.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोंजी) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 15.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की गणना हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल

नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान पाई गई कमियां जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 33 से 36 तक) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विषय निर्धारण उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गोंजी लाइम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रोमेन्द्र चन्द्राकर) को ग्राम–गोंजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी के खसरा क्रमांक 1032/1, 1035, 1043, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.86 हेक्टेयर, क्षमता–58,071.00 टन प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/04/2023 के माध्यम से निम्न जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. आवेदित खदान को सम्मिल कर क्लस्टर में कुल 7 खदानें है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध बनाकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा–निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना के जिन–जिन स्थानों से पर्याप्तिक डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार निर्धारण उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गोंजी लाइम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रोमेन्द्र चन्द्राकर) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

1. खदान के संचालन के समय निकटतम गौशाली नाला को किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही परियोजना प्रस्तावक की होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नैसर्गी नाला एवं अन्य निकटतम जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उचित कदम उठाया जाए तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मेसर्स बंगोरी एण्ड कंपनी लाईम स्टोन माईनिंग क्वारर (प्रो.– श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबाई), ग्राम–बंगोरी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (अधिशासन का नवमी क्रमांक 1810)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81876/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/476884/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीम स्टोनेज) खदान है। खदान ग्राम–बंगोरी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 25/36 एवं 25/03, कुल क्षेत्रफल– 1.234 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–5,078.56 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स बंगोरी लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स बंगोरी एण्ड कंपनी लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार किया जाकर सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (तथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 44वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. **मेसर्स पंगोरी एवं कंपनी लाईम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.- श्री अरविन्द गुप्ता), ग्राम-पंगोरी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 1784)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67086/ 2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417409/ 2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम-पंगोरी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 25/24, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमति उत्पादन क्षमता-15,435 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कॉलम 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 को मध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स पंगोरी लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स पंगोरी एण्ड कंपनी लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति** के समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स कंपोजिट एण्ड कर्व लाईम स्टोन माईनिंग क्लस्टर (प्रो– श्री दिनेश कुमार मिश्रा), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 1807)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 618026/2021, दिनांक 16/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 478734/ 2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यसार ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 532 एवं 534, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,875 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स कंपोजिट एण्ड

कर्रा लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/अभिनस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स पंगोरी एण्ड कर्रा लाईम स्टोन माईनिंग क्लस्टर (प्रो-बीएसी कोल पुरवा), ग्राम-कर्रा, तहसील-सुन्दरा, जिला-सरगुजा (अधिकालय का नस्ती क्रमांक 1700)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 63784/2021, दिनांक 09/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/417341/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम-कर्रा, तहसील-सुन्दरा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 879/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,217.28 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कंडी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 82वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 28/03/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स कर्ट लाईम स्टोन के स्थान पर मेसर्स कांगोरी एण्ड कर्ट लाईम स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्रावधिकता के आधार पर आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (तथा संशोधित) के तहत चलन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/09/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को बैठक में प्राप्त प्रारूप में फलस्वरूप डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स शर्मा मटेरियल सप्लायर (प्रो.– श्री परसराम शर्मा, बुड़ीपार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बुड़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (खनिज का नस्ती क्रमांक 2307)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418085/2023, दिनांक 13/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गैर खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुड़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक–264(पार्ट), 265(पार्ट), 270(पार्ट), 281/1(पार्ट), 287, 270/1, 270/2, 271/1, 286/1, 286/2, 273/1, 273/2, 273/3 एवं 273/4, कुल क्षेत्रफल–1.079 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–46,887.47 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री परसराम शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

i. पूर्व में मुख्य खनिज खनन खसरा क्रमांक–264(पार्ट), 266(पार्ट), 272(पार्ट), 261/1(पार्ट), 267, 270/1, 270/2, 271/1, 266/1, 266/2, 273/1, 273/2, 273/3 एवं 273/4, कुल क्षेत्रफल–1.078 हेक्टेयर, क्षमता–47,511.27 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 23/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 22/01/2023 तक वैध है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 22/01/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोष्ठकाम सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार पूर्वावलोकन नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 837/ख.ख./टीन–6/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 10/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	6,200
2019–20	7,100
2020–21	12,750
2021–22	25,900

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भंडपाली का दिनांक 26/12/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **पर्यावरण योजना** – लघिम क्रीक क्वारी प्लान एवीए विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खा.) सचिवालय, भोपाल तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 6436/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.प्र.08/2021(3) नया रायपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 216/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 1.088.50 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 216/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज मेसर्स वर्मा मटेरियल सप्लायर, प्रो. -श्री परसराम वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/02/2018 से 31/01/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मुड़ीपार 300 मीटर एवं स्कूल ग्राम-मुड़ीपार 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि. मी. दूर है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से राजमार्ग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क से दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संभार एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,04,933 टन, माईनेबल रिजर्व 2,87,087 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,72,733 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,803.87 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। ब्लेक हैवर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में अवैध अवैधित नहीं है एवं वर्तमान में

इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	46,867.47
द्वितीय	34,965.00
तृतीय	30,918.75
चतुर्थ	33,127.50
पंचम	32,752.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 750 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,853.87 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में नहीं किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए। साथ ही उक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में करते हुए संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मेन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.19 के अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रमेश पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

> **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 216/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 1.069.63 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ीपार) का रकबा 1.019 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ीपार) के मिलाकर कुल रकबा 1.070.609 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से संचालित जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई(एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिलायसिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) फॉर कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

xii. Project proponent shall submit certificate regarding distance from lease area to state highway & PMGSY/ MGSY road.

xiii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.05.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the revised mining plan & remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को सम्पन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिवेदन द्वारा भेजी का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पक्ष लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

17. **मेसर्स ऋषभ मिनरल्स (प्रो.– श्री उत्तम सिंह, खुर्सीपार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–बीरनपुर, जिला–राजनांदगांव (वर्तमान में जिला–बीरनपुर–खुर्सीपार–गण्डई) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2308)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418092/2023, दिनांक 14/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–बीरनपुर, जिला–राजनांदगांव (वर्तमान में जिला–बीरनपुर–खुर्सीपार–गण्डई) स्थित खसरा क्रमांक – 28/1, 28, 29, 30/2 एवं 30/3, कुल क्षेत्रफल–1.599 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता–75,000 टन (30,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लोकसिंह राजपूत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राहकान के संबंध में ग्राम पंचायत धोरिया का दिनांक 08/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान एवं विद्ध इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खा.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2278/खनि 02/म.प्र. अनुमोदन/न.क.28/2018(2) नया रायपुर, दिनांक 29/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बीजापुर–सुकमा–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 12/ख.नि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 03/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.182 हेक्टेयर है।
5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बीजापुर–सुकमा–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 12/ख.नि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, इनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स ऋषभ मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 396/ख.नि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1822/खनि 02/ख.प्र.–अनु.निश्चि./न.क.50/2017(4) नया रायपुर, दिनांक 06/03/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "**छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/08/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनित्ट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।**" का उल्लेख है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती कुमारी सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपमण्डल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उप मण्डल दौलतपुर, जिला–राजगढ़(ब्यावरा) के प्रापण क्रमांक/भ.वि./भ.अ.26(पार्ट–2)/2541 दौलतपुर, दिनांक 31/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुर्रीयार 840 मीटर, निकटतम स्कूल ग्राम–खुर्रीयार 1 कि.मी. एवं अस्पताल दौलतपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। आमेर नदी 8 कि.मी. एवं नाला 80 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,88,280 टन, माईनेबल रिजर्व 3,97,885 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,77,780 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,450 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल भराव 11,500 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 8 वर्ष है। जीरो हैरिज से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	75,000
द्वितीय	75,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	75,000
पंचम	75,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टेंकरों के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् माइनरी लिज़ार्ड द्वारा दीमकाकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आवास पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय एन.जी.टी., क्षेत्रीय पीठ, नई दिल्ली द्वारा याचिका पत्रांक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाकर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-बीजापुर-सुकमा-दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 12/खनि. 02/2023 रायपुरदन्तेवाड़ा, दिनांक 03/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.962 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-खुलीपार) का रकबा 5.599 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खुलीपार) को मिलाकर कुल रकबा 5.561 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची से प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोपोजल/एक्टीविटीज रिलायसिंग इम्पाक्ट असेसमेंट अन्तर्गत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोपोजल हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2020 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची से**

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

18. मेसर्स केसलाकला क्रिस अर्थ ले क्वारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव), ग्राम–केसलाकला, तहसील–केरता, जिला–बेमेतरा (छत्तीसगढ़ का नक्शी क्रमांक 21वां)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81003/ 2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मॉन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केसलाकला, तहसील–केरता, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 602/1, 602/3, 603, 608/1, 608/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602 कुल क्षेत्रफल–4.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयाराम यादव, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं बिजली स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं बिजली को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 04/01/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् बिजली को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयाराम पाण्डे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केतलाडबरा का दिनांक 02/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंगड्रीम कंपनी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रका.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 886/खनि/मिट्टी प. यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 13/06/2022 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् उप संचालक (ख.प्रका.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2529/खनि/मिट्टी प. यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 29/12/2022 अनुसार पूर्व में अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये विसंगति के स्थान पर कच्चे ईंटों के भण्डार तथा कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत अन्य लीज में स्थित विसंगति का प्रयोग किये जाने बाबत् संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान जारी किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 151/खनि.लिपि/2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 150/खनि.लिपि./2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में 2 खदानें होने का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, सड़क, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, पेयजल सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, पारंपरिक जल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 610 एवं 617 श्रीमती रेखा यदु एवं शेष खातेदार आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री दयाराम यादव के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 696/खनि. विविध/2018 बेमेतरा, दिनांक 23/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु कि थी। एल.ओ.आई. की मिला वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 27/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/04/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"पत्रावली विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 28/08/2020 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ मीनर खनिज नियम, 2018 के नियम 42(5) सपठित के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला–बेमेतरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक/400, दिनांक 17/04/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केलाकसा 850 मीटर, स्कूल ग्राम–केलाकसा 850 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–केलाकसा 810 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। खदान नदी 150 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 99,400 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 73,088 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी लीज पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,048 वर्गमीटर है। मिट्टी के

परिवहन हेतु 3,284 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा। खदान की प्रस्तावित आयु 31 वर्ष है। खदान में धातु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्षमता योजना अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500
द्वितीय	2,500
तृतीय	2,500
चतुर्थ	2,500
पंचम	2,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – सी-फॉर्मेशन हेतु 3,284 वर्गमीटर क्षेत्र एवं कच्चे ईंट के भण्डारण हेतु 3,590 वर्गमीटर क्षेत्र क्षेत्र को अर्थात् इस प्रकार कुल 6,874 वर्गमीटर क्षेत्र को लीज क्षेत्र में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ी में 400 पेड़ वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 08/12/2022 को सूचना दी गई थी।

17. कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई संरक्षित बीचली रेखा वन के लीज में स्थित लिगनी का प्रयोग किये जाने बाबत् बीचली रेखा वन सहमति पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा उत्खनित मिट्टी से बनाये गये कच्चे ईंटों को पकाने के लिए उनकी पत्नि बीचली रेखा वन के लीज में स्थित लिगनी का प्रयोग किया जाएगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान की लीज सीमा से लगी हुई भी अभिनिर्धारित उपखण्ड एवं बीचली रेखा वन के खदान लीज क्षेत्र को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by**

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 151/खनि. निधि/2022 बेमेतरा, दिनांक 31/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बेलाकछना) का रकबा 4.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बेलाकछना) को मिलाकर कुल रकबा 15.519 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 200 meter radius from the proposed mine.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/08/2022 को संपन्न पहली बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किसी उपरांत कार्यवाही में** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

18. मेसर्स केलाकला क्विक्स अर्थ कंपनी (प्रो.– श्री अनिमीश उपाध्याय), ग्राम–केलाकला, तहसील–केराल, जिला–कोरबा (अधिकारपत्र का नस्ती क्रमांक 2117)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81229/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (लीज सहित) खदान है। खदान ग्राम–केलाकला, तहसील–केराल, जिला–कोरबा, स्थित खसरा क्रमांक 614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11, कुल क्षेत्रफल–2.2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अभिनीत उपस्थित, प्रोजेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं किसी खदान नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं किसी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् किसी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अभिनीत उपस्थित, प्रोजेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस उत्खनन को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेरलाकला का दिनांक 02/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** माईनिंगईड स्कीम प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 846/ खनि/ मिट्टी ए.सी./2022 बिलासपुर, दिनांक 13/06/2022 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् उप संचालक (खनिज), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2530/खनि/मिट्टी

उ.मी./2022 बिलासपुर, दिनांक 29/12/2022 अनुसार पूर्व में अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये मिनरी के स्थान पर कच्चे ईंटों के भण्डार तथा कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत अन्य लीज में स्थित मिनरी का प्रयोग किये जाने बाबत् संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान जारी किया गया है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 164/खनि.विभि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.049 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच हुई उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 153/खनि.विभि./2022 बेमेतरा, दिनांक 31/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में 2 खदानें होने का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, मकान, अस्पताल, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार, धार्मिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा में आवेदन किया गया है। स्थिति का पता है कि उक्त प्रमाण पत्र फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. की अभिलिप्त उपलब्धता के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के पृ. ज्ञापन क्रमांक 667/खनि. विभि/2018 बेमेतरा, दिनांक 22/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह होने हेतु कि थी। तदोपरांत संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3361/खनि82/उ.प.–अनु.निष्पा./ग.अ. 50/2017 अटल नगर, दिनांक 29/08/2019 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई. की कैपात दिनांक 20/09/2019 तक की गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की कैपात वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण ज्ञापन क्रमांक 26/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/04/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**उपलब्ध विवरण के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 26/08/2020**

(छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(b) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त जमानराशि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला–बेमेतरा को प्रस्तावित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 615, 639/1, 641/1 श्रीमती लालू उपाध्याय एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर, बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक/382, दिनांक 17/04/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेरलाकला 500 मीटर, सहूल ग्राम–बेरलाकला 730 मीटर कि.मी. एवं अस्पताल पुड़ेली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। खारून नदी 780 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 42,344 घनमीटर एवं माइनेबल रिजर्व 33,839 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 872 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में धातु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	3,350
द्वितीय	3,350
तृतीय	3,350
चतुर्थ	3,350
पंचम	3,350

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – री–मटेरियल हेतु 982 वर्गमीटर क्षेत्र, कच्चे ईंट के भण्डारण हेतु 2,187 वर्गमीटर क्षेत्र एवं सड़क हेतु 400 वर्गमीटर क्षेत्र को अर्थात् इस प्रकार कुल 3,169 वर्गमीटर क्षेत्र को लीज क्षेत्र में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 360 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा संकलन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 08/12/2022 को सूचना दी गई थी।

17. कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वीकृत भौगोलिक विस्तार वाला उपखण्ड के लीज में स्थित मिट्टी का प्रयोग किये जाने बाबत् भौगोलिक विस्तार वाला उपखण्ड शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा उत्खनित मिट्टी से बनाये गये कच्चे ईंटों को पकाने के लिए उनकी माता भौगोलिक विस्तार वाला के लीज में स्थित मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान की लीज सीमा से लगी हुई भी उपखण्ड माता एवं भौगोलिक विस्तार वाला उपखण्ड के खदान लीज क्षेत्र को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 184/खनि, तिथि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, संचयन 11.048 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेरतराला) का रकबा 2.2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेरतराला) को मिलाकर कुल रकबा 13.248 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल संचयन 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2018 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का

मॉनिटरिंग रीपोर्ट (प्रोग्रेस सुपरवाईजरी रिपोर्ट) मॉनिटरिंग प्रोग्रेस हेतु निम्न अतिरिक्त दस्तावेज के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 200 meter radius from the proposed mine.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 540वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गतौरा, तहसील–गतुरी, जिला–बिलासपुर**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएसआईएन/ 299546/2023, दिनांक 21/04/2023। मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. प्रपोज़ ग्राम–गतौरा, तहसील–गतुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/6, 401/3, 409/7, 409/15, 406/1, 409/4, 406/3, 404/4, 401/2, 402/1, 406/2, 409/6, 409/8, 401/4, 402/2, 403, 401/1, 404/1, 409/1 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल 13.02 एकड़, कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव क्रमांक 545, दिनांक 22/07/2013 द्वारा ग्राम–गतौरा, तहसील–गतुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/6, 401/3, 409/7, 409/15, 406/1, 409/4, 406/3, 404/4, 401/2, 402/1, 406/2, 409/6, 409/8, 401/4, 402/2, 403, 401/1, 404/1, 409/1 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल 10 एकड़, कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/01/2021 को मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिशियेशन (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/01/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड

के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarise undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स कलीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसोल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक को वर्तमान में स्वीकृत इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विधुवत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिरगहनी, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 200656/2023, दिनांक 21/04/2023। मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिशियेशन (इण्डिया) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. उक्त ग्राम–बिरगहनी, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 29/2, 32/3-क, 38/4, 38/5, 38/6 एवं 40/1, कुल क्षेत्रफल 10 एकड़, कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (धुलाई कोल कोल) की है।

2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2488, दिनांक 05/10/2016 द्वारा ग्राम–किलहनी, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 29/2, 32/3–8, 33/4, 33/5, 34/6 एवं 40/1, कुल क्षेत्रफल 10 एकड़, कोल वेशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (मुख्य क्रीक कोल) हेतु मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वेशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (मुख्य क्रीक कोल) हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 27/02/2020 को मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2023 तक की अवधि हेतु वैध थी।

4. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड एवं मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड एवं मेसर्स हिन्दमल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसोल्यूशन की प्रति संलग्न की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार उपरांत कार्यवाही से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक को वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–4 पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गणपति मेटल्स एंड मिनरल्स लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री गौतम चंद जैन), ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (तकिरालय का पत्रांक 1512)

आवेदन – पूर्व में प्रकरण नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 182949/2021, दिनांक 13/01/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 20/04/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में स्थित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.457 हेक्टेयर, क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष की है।

2. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के क्रमांक 579, दिनांक 25/06/2021 द्वारा ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में स्थित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.457 हेक्टेयर, क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"मेरे लीज खनिज चूना पत्थर खदान जो ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुरलोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1,41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10, कुल रकबा 1.457 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी दिनांक से 2 वर्ष के लिए प्रदान की गई थी तथा कंडिका अ – 3 में उल्लेख किया गया था कि सेवरी जोन के खुदे हुए भाग को पुनर्भरण करने के पश्चात् लीज की पर्यावरण स्वीकृति की अवधि में वृद्धि की जाएगी। मेरे द्वारा सेवरी जोन पर पुनर्भरण का कार्य कर लिया गया है तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन जमा किया गया।

अतः पर्यावरण स्वीकृति की अवधि को लीज अवधि तक मान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।"

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार उपरांत उपस्थित सदस्यगणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पूर्व से उत्खनित भाग को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करने हेतु खनिज विभाग से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की जियोटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–5 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स मोहम्मदपा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती विनीता राय), ग्राम–मोहम्मदपा, तहसील–पत्थलिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का पत्र क्रमांक 2116)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288661/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। ग्राम–मोहम्मदपा, तहसील–पत्थलिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–4,700 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654, कुल क्षेत्रफल – 0.482 हेक्टेयर, क्षमता – 5,925 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of

Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 30/09/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक लंबित है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित मानकानुसार 200 पेड़ वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1389/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/09/2017 से 31/03/2018 तक	1,100
2018-19	985
2019-20	1,055
2020-21	2,010

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/826/खनि.02/2022 मुंगेली, दिनांक 16/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021-22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 3,180 टन है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 16/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान एवं सेक्शन सिवा क्वारी कंटेंजन प्लान एवं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि

प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 2284/खनि/तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 17/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि–02/2022–23 मुंगेली, दिनांक 26/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.87 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एन.जी.आई. जारी किया गया है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ्ठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, इनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री रमेश जुनेजा के नाम पर थी। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/07/2010 से 07/07/2015 तक की अवधि हेतु किए थी। लीज डीड का इनरोलमेंट दिनांक 02/03/2013 को श्रीमति विनीता राय के नाम पर किया गया। तत्पश्चात लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/07/2015 से 07/07/2040 तक निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनि/777 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सोहागपुरा 300 मीटर, स्कूल ग्राम–सोहागपुरा 820 मीटर, एवं अस्पताल ग्राम–तरगांव 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 400 मीटर एवं राज्यमार्ग 58.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.7 कि.मी., बोरमी नाला 3.75 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं पहाड़ 5.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान के अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,54,850 टन (61,860 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 58,074 टन (23,228 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,48,292 टन (58,517 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 50,134 टन (20,053 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,950 वर्गमीटर है। वर्तमान आवंटित योजना मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन

किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 882 घनमीटर की, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रदान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,925	पंचम	4,700
द्वितीय	4,700	छठवां	4,700
तृतीय	4,700	सप्तम	4,700
चतुर्थ	4,700	नवम	4,700
पंचम	4,700	दशम	4,700

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत सोहागपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/वहन मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (200 नग) वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु	खाद हेतु राशि	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	पौधिन, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल राशि = 11,50,000		2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,860 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से वर्तमान आवेदक को लीज जारी होने के पूर्व से ही 825 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खदान योजना में किया

गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निम्नतर में शर्त उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
				0.47

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक की सहमति अनुसार प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक एवं पर्यावरण संबंधी सुधारों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. अंडर्टेक कंसल्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से न्यूनिहित डम्प उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कार्यरत्ती लिज़र्स द्वारा डीमार्केशन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यकारी बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमति अनुसार प्रस्तावित स्थल से आवंटित, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्पूर्ण उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पक्ष लेख किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रावन दिनांक 09/01/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 17/11/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 17/11/2022 को आवेदन किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ प्रावन दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध पत्र लिखा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहलाई का दिनांक 16/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि दिनांक 16/11/2009 को जारी पंचायत प्रस्ताव में लिखी गई शर्त के अनुसार पंचायत प्रस्ताव प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर खनिज विभाग से लीज स्वीकृत कराना अनिवार्य था। पंचायत प्रस्ताव में दी गई उक्त शर्त के अनुसार ही खनिज विभाग से 08/07/2010 को 1 वर्ष के भीतर लीज अनुमोदन करवा लिया गया था। अतः उक्त पंचायत प्रस्ताव प्रभावशील है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित संयंत्र में आवंटित, पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
			Books related to Environment Conservation and Almira for Books	0.10
				0.57

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं फुटप्रिंट कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि–सदस्यीय समिति (कलेक्टर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या क्षेत्रीयाधीन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं फुटप्रिंट का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रावेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बुरहानपुर के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि–02/2022–23 बुरहानपुर, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें (कुल पट्टार), क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इसमें अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य लीज़होल्ड खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को ए.ई.आई. जारी किया गया है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्टा) का क्षेत्रफल 0.483

हेक्टेयर है। आवेदित खदान चूना पत्थर खदान है। इस प्रकार संयुक्त खनिज (चूना पत्थर) हेतु आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) को मिलाकर कुल रकबा 4.238 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित संयुक्त खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन कंपनी (प्रो– श्रीमती निर्मला राय) को ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–खरसिया, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654 में स्थित चूना पत्थर (लोम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर, क्षमता – 4,700 टन प्रतिवर्ष हेतु संशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की संशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन कंपनी (प्रो– श्रीमती निर्मला राय) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को संशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/03/2023 के परिपेक्ष्य में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से आज दिनांक तक अप्राप्त है।

उपरोक्त से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के संबंध में दिनांक 21/04/2023 को संशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् अनुशंसा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/08/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

ग्राम मोहम्मदा तहसील पथरिया, जिला बुलेमी (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 652, 653, 654 में आवंटित क्षेत्र रकबा 0.482 हेक्टेयर क्षेत्र में चूना पत्थर (मीन माइनर) उत्खनन क्षमता 6,025 टन प्रतिवर्ष हेतु खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन प्राधिकरण जिला बुलेमी छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 01/08/2017 को जारी पर्यावरण स्वीकृति क्रमांक 1178/खनि 02/डी.ई.आई.ए.ए. प्राप्त है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति हेतु सर्टिफाईड अनुपालन प्राप्त करने के लिए दिनांक 17/11/2022 को क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एम.ओ.ई.एफ. अरण्य भवन सेक्टर 19, नया रायपुर अटल नगर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17/11/2022 को सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर रायपुर छ.ग. को सर्टिफाईड अनुपालन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17/11/2022 को क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर (छ.ग.) में भी सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आज दिनांक तक उक्त कार्यालयों से हमें सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त नहीं हो पाया है।

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण मेरी खदान में उत्पादन रुका हुआ है, जिससे खदान में कार्यरत दर्जन भर से ऊपर मजदूरों के परिवार को रोजगार नहीं मिल पा रहा है एवं उनकी आजीविका का साधन बंद हो गया है अतः इस समस्त की आजीविका के साधन को प्रदान करने के लिए मुझे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की कृपा करें। जमा किए गए पालन प्रतिवेदन का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्राप्त हो जाने पर जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में हमारा पत्र दिनांक 19/01/2023 को राज्य स्तर पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में जमा किया गया है। अतः आवेदित प्रकरण में सशर्त पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में प्राधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स श्री कुलवंती फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुंद (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1625)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएन03/ 71661/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/07/2022 के माध्यम से जारी टी. ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.28 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ ट्रिपल

सुपर कॉन्सेंट्रेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रावन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) यानि ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिलाटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कलीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित क्लॉज 3(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

S.No.	Conditions	Clarification
1.	It has been asked by SEAC Chhattisgarh to conduct Hearing for the project.	The project is in a notified industrial area. The notified area has been established before 2006. Public Therefore, the project being located in a notified industrial area, the project is exempted from Public Hearing as per clause 7 (i) (II) of EIA notification 2006 & OM J-11011/321/2016-IA. II(1) dated 27.04.2018.
2.	Condition No. (i): Project Proponent shall inform Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.	According to the Office Memorandum, dated 29th August 2017 issued by MOEF&CC is enclosed. It is stated that the baseline data used for the preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, the baseline data should not be older than 3 years. So, in line with this OM, M/s Tulsi Phosphate has already conducted the monitoring for the period (1st Dec 2021 to 28th Feb, 2022). The monitoring test reports will be submitted along with the submission of EIA report.

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्थी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 1 के परिपेक्ष्य में समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: J-11011/321/2016-IA.II(I), दिनांक 27/04/2018 के अनुसार "the exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III State (3)(ob) of the EIA Notification, 2006, shall not be applicable to the following projects or activities (located within the industrial estates / parks) listed as under:" में 5 (a) का उल्लेख नहीं है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Government of India Ministry of MSME, State Industrial Profile of Chhattisgarh 2015-16 के सारणी क्रमांक–6 के बिंदु क्रमांक–37 में Industrial Area, Birkoni, Mahasamund का उल्लेख है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लीज मेमोर्स की तुलसी कॉरपोरेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर है। लीज डीड 99 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/10/2010 से 24/10/2109 तक की अवधि हेतु किया है।

4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 3 के परिप्रेक्ष्य में समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11013/41/2006-IA-II(I)(Part), दिनांक 29/08/2017 के अनुसार "(vii) The baseline data used for preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToRs prescribed." का उल्लेख है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त बेसलाईन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु उक्त बेसलाईन डाटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किए जाने एवं तदानुसार नवीन टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई–

"प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

के स्थान पर

"प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस

नोटिफिकेशन क्रमांक J-11011/321/2016-IA.III), दिनांक 27/04/2018 द्वारा **Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks** हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई

पढ़ा जाए।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. ग्राम– बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद में बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र को कम अधिसूचित किया गया है, इस संबंध में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपरोक्त विषय से प्राप्त किया जाना है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में केसलाईन डाटा कलेक्शन 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई है अथवा नहीं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद में बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र कम अधिसूचित किया गया है? के संबंध में उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन से जानकारी मंगाया जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
2. पूर्व में केसलाईन डाटा कलेक्शन 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई है अथवा नहीं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पत्र प्रेषित किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/12/2022 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/12/2022 एवं 24/04/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक सीएसआईडीसी/भू–अर्जन/22/866, रायपुर, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी पत्र में "(1) औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला–महासमुंद की स्थापना की घोषणा – उक्त में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद के पत्र क्रमांक 351/डिकला/रा. /98, दिनांक 09–10–1998 को औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला–महासमुंद की स्थापना हेतु कुल 96.42 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुमति/कार्यवाही करने का शेष है। (2) भूमि का हस्तांतरण – विधिवत भूमि का अधिग्रहण महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुंद के

मंत्रालय से सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 04-02-2020 को प्राप्त किया गया है।" का उल्लेख है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 29/08/2017 अनुसार "The baseline data used for preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for ToR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToRs prescribed." के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/12/2021 से 28/02/2022 के मध्य किया जाना बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही के निर्णय लिया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:-

"प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) कोस्टल रेगुलेशन जोनों हेतु स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

के स्थान पर

"प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) कोस्टल रेगुलेशन जोनों एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/321/2016-IA.III), दिनांक 27/04/2016 द्वारा Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks हेतु स्टेण्डर्ड **टीओआर (बिना लोक सुनवाई)** निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

पढ़ा जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–6	मेसर्स गणपति आयरन एण्ड स्टील, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ को जारी टी.ओ.आर. को वापस (withdraw) लिए जाने हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गणपति आयरन एण्ड स्टील, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 794)

आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित पत्र – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 34242/2019, दिनांक 05/04/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टी.ओ.आर. को वापस (withdraw) लिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 22/1, 22/2, 22/18, 22/16, 22/10, एवं 22/17, कुल क्षेत्रफल – 5.878 हेक्टेयर में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र फर्नेस सिद्ध सीसीएम (12 टन युक्त 4 नग) (एम.एस. बिलेट) क्षमता – 1,70,256 टन प्रतिवर्ष एवं डी–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 1,57,016 टन प्रतिवर्ष (रोलिंग मिल (बू हीट चार्ज) क्षमता – 78,508 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (बू री–हीटिंग फर्नेस) क्षमता – 78,508 टन प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनिवेश रूपए 25 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रावधान क्रमांक 549, दिनांक 27/07/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज निक्षायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित क्रमांक 3(ए) मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज (बेसिक एण्ड नॉन–फेरस) हेतु स्टेण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टी.ओ.आर. को वापस (withdraw) लिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 की सम्पन्न 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"With reference to above cited TOR issued to our proposed steel project proposed at Village - Pali, Tahsil and District- Raigarh (CG), we wish to submit that we have decided not to implement the above project, and have signed agreement with M/s. Maa Manaa Iron and Power Private Limited for sale of the same land, on which they have proposed to setup a sponge iron plant.

Therefore we herewith wish to submit that we are not going ahead with preparation of EIA and herewith surrendering the TOR issued to our project. Thus herewith request you to kindly allow us to surrender the TOR."

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रावधानों के आधार पर उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–3	**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धमतरी द्वारा प्रेषित पत्र के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धमतरी के ज्ञापन दिनांक 24/04/2023 द्वारा "Development of Sargi-Basanwahi Section from Km.42+500 to Km.99+500 of NH- 130CD under Raipur-Visakhapatnam under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the State of Chhattisgarh on HAM mode Environment Clearance of Stone Mine used for construction of Government project (Bharatmala) - Reg." के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"Development of Six lane Sargi-Basanwahi Section of NH-130 CD road from Km. 42+500 to Km 99+500 under Raipur-Visakhapatnam Bharatmala Pariyojna has been awarded to Concessionaire M/s Raipur-Visakhapatnam CG-2 Highways Limited & appointed date was declared on 09.01.2023. Presently the work is under progress.

Concessionaire vide letter dt.14.01.2023 has informed that they have has applied for environment clearance for minor minerals (stones) vide application No.424308, 424420, 424447 & 424484 dt.05.04.2023 for village Dhantouda, Teh - Magarlod & application No.424508, 424551, 424586 & 424712 dt.05.04.2023 for vill-Gondalarala, The-Nagri.

In view of the above, as the said Bharatmala project is highly prestigious project of Govt. of India & is being monitored by higher Authority at various level, therefore it is requested to do the needful action for environment clearance for minor mineral (stones) at the earliest so that project will be completed on schedule time."

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र का अवलोकन किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–8 **छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/04/2015 में संशोधन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/04/2015 में संशोधन के संबंध में नोटशीट के माध्यम से विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 1–15/2015/32 नया रायपुर, दिनांक 29/04/2015 द्वारा आदेश जारी किया गया है। उक्त जारी आदेश के पैरा 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन–पत्रों की प्रारंभिक छानबीन हेतु परीक्षण शुल्क की दरें निर्धारित की गई है। उक्त जारी आदेश का संशोधन आज दिनांक तक नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों (म.प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में लेख है कि टी.ओ.आर., पर्यावरणीय स्वीकृति, टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन, टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि, आदि प्रकरणों के कार्यवाही के लिए कर्मचारियों के भुगतान किये जाने वेतन एवं भत्तों तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के बैठक की फीस और यात्रा–भत्ता आदि के व्यय के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/04/2015 में निर्धारित परीक्षण शुल्क की समीक्षोपरांत संशोधन करने जाने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को सत्रान्त 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव को आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–9 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की बैठकों में अनुपस्थित परियोजना प्रस्तावकों के प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त करने के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की बैठकों में अनुपस्थित परियोजना प्रस्तावकों के प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त करने के संबंध में नोटशीट के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के बैठकों में यह संज्ञान में लाया गया कि अनुपस्थित परियोजना प्रस्तावकों को ऑनलाईन पोर्टल से

डि-लिस्ट/निरस्त करने के संबंध में कोई भी आदेश एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.सी., छत्तीसगढ़ के स्तर से जारी नहीं हुआ है। उक्त के संबंध में निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित है:-

"जो परियोजना प्रस्तावक की बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उनको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा"

उक्त प्रस्ताव को:-

1. ई-मेल के माध्यम से सभी एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सदस्यों को मेजकर सुझाव/आपत्ति लिया जाए।
2. तत्पश्चात सुझाव/आपत्ति को शामिल कर अध्यक्ष एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदन पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/06/2023 को संपन्न 548वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आदेश पारित करते हुये परिवेश पोर्टल में अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के संबंध में।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM. The State Government may assess the existing workload of SEAC(s) and accordingly, send proposals for constitution of additional SEAC for a specified period to deal with such additional workload." हेतु जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 22/06/2023 को सम्पन्न 148वीं बैठक में उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया। ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये समस्त जानकारियों एवं आदेशों से प्राधिकरण अवगत हुई।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य-सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. संजय सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़